किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 51 सन् 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील मे जारी हुए
16.3.22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29.4.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
29.4.22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है, अतः पत्रावली दिनांक 31.5.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
31.5.22	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलोअप कैम्प ग्राम पंचायत लुहारिया में पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किया गया, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या – 51/22 प्रा०पत्र

1– श्री इन्द्रमल S/o श्री उदयराम ब्राह्मण निवासी– लुहारिया तहसील माण्डल (वगैरा)

– प्रार्थी

बनाम

1– श्री शंकरलाल S/o गणपतलाल ब्राह्मण निवासी– लुहारिया त० मांडल (वगैरा) (संलग्न प्राप्पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 31-05-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. संलग्न पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता 11 रकबा 3.1110 हैक्टेयर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-03-22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. संलग्न पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता 11 रकबा 3.1110 हैक्टेयर बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 1200/- रुपये /– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

(हस्ताक्षर)

डॉ. पूजा सक्सैना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

(हस्ताक्षर)

डॉ. पूजा सक्सैना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021